श्री जय सिंह, भा0प्र0से0, जिलाधिकारी, खगड़िया की अध्यक्षता में दिनांक 06.11.2017 को आयोजित मुख्यमंत्री सात निश्चय योजनान्तर्गत् गली–नाली निर्माण की योजना के कार्य में लगे संबंधित सहायक अभियंता, कनीय अभियंताओं के साथ समीक्षा बैठक की कार्यवाही।

दिनांक 06.11.2017 को 12:00 से आयोजित मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना से संबंधित समीक्षा बैठक में गली–नाली निर्माण योजना की धीमी प्रगति के बारे में प्रखंड विकास पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री निश्चय योजना से संबंधित गली–नाली निर्माण का प्राक्कलन एवं तकनीकी स्वीकृति के लिए अन्य विभाग के तकनीकी पदाधिकारियों को अपने कार्यो के अतिरिक्त इस कार्य को करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था जिनके द्वारा अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई जा रही है जिसके कारण कार्य की प्रगति नहीं हो पा रही है। इस संबंध में निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, खगड़िया ने बताया कि स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण गठन, खगड़िया, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, गोगरी एवं मनरेगा से संबंधित अभियंताओं को अपने कार्यो के अतिरिक्त इस कार्य हेतु आदेश ज्ञापांक 496 दिनांक 08.08.2017 के द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया था जिसका अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

इस संबंध में संबंधित कार्यपालक अभियंताओं को दिनांक 06.11.2017 को अपराह्न में संबंधित अभियंताओं के साथ उपस्थित होने के लिए निदेशित किया गया जिसके आलोक में निम्नांकित अभियंता उपस्थित हुए :–

1. <u>स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन प्रमंडल के अभियंता</u> :–

कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंता संगठन, खगड़िया के अंतर्गत् कुल 2 सहायक अभियंता एवं 6 कनीय अभियंताओं को इस कार्य हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है जिसमें दोनों सहायक अभियंता (श्री सुरेश्वर बैठा एवं श्री राकेश रंजन) जिला में उपस्थित नहीं हैं। श्री सुरेश्वर बैठा के बारे में बताया गया कि वे सरकारी कार्य से पटना गये हुए हैं। पृच्छा पर कार्यपालक अभियंता ने बताया कि उनके द्वारा श्री बैठा को कहीं नहीं भेजा गया है। कार्यपालक अभियंता स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि उक्त दोनों सहायक अभियंता के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप–पत्र गठित कर भेंजे तथा उनका वेतन भुगतान अगले आदेश तक स्थगित रखें।

(अनुपालन : कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, खगड़िया / कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया)

<u>श्री प्रशांत कुमार, कनीय अभियंता</u> :– श्री कुमार बैठक में अनुपस्थित पाये गये। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि इनके संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

<u>श्री अभिषेक कुमार, कनीय अभियंता</u> :– श्री अभिषेक कुमार भी बैठक में अनुपस्थित पाये गये। कार्यपालक अभियंता द्वारा इनके संबंध में भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं होने की बात कही गई।

<u>श्री पंकज कुमार, कनीय अभियंता</u> :– इनके द्वारा बताया गया कि प्रतिनियुक्त आदेश मिलने के बाद एक बार वे प्रखंड विकास पदाधिकारी से मुलाकात किये थे एवं उसके बाद नहीं मिले हैं और न ही प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा उन्हें कभी बुलाया गया है।

श्री विनय कुमार राय, कनीय अभियंता :– श्री कुमार ने बताया कि इन्हें चौथम प्रखंड का 13 पंचायत एवं बेलदौर प्रखंड का 4 पंचायत दिया गया था। पूर्वी बोरने एवं तेलौंछ जाकर मुखिया से मिले थे। दुर्गापूजा के पहले 15.10.17 को प्रखंड विकास पदाधिकारी, चौथम से मिले थे तथा उन्होंने मुझे GPS से मिलने की बात की थी एवं उनसे मैं मिला था। उसके वाद कोई आदेश–निर्देश नहीं मिला।

श्री अनिल कुमार पंजियार, कनीय अभियंता :– श्री पंजियार द्वारा बताया गया कि उन्हें कोई गाईड–लाईन उपलब्ध नहीं कराया गया है। दुर्गापूजा के पहले वे प्रखंड विकास पदाधिकारी से मिले थे। पृच्छा पर उनके द्वारा बताया गया कि वे साप्ताहिक बैठक में भाग नहीं लिये हैं। उन्हें निदेश दिया गया कि गाईड–लाईन विभाग के वेबसाईड पर है इसे डाउनलोड किया जा सकता है।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि प्रतिनियुक्त उपरोक्त सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता कार्यों के प्रति उदासीन हैं जिसके कारण कार्य की प्रगति धीमी है। कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, खगडिया को निदेश दिया गया कि वे नियमित कनीय अभियंता का वेतन भुगतान अगले आदेश तक स्थगित करें तथा संविदा आधारित कनीय अभियंताओं के मानदेय का भुगतान 15% (प्रतिशत) राशि काट कर करना सुनिश्चित करें। साथ ही संबंधित सहायक अभियंता/कनीय अभियंताओं से कार्य में प्रगति नहीं लाने के संदर्भ में स्पष्टीकरण प्राप्त कर भेजना सुनिश्चित करें।

(अनुपालन : कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, खगड़िया/कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया)

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, खगड़िया किसी सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंताओं पर नियंत्रण नहीं है। कार्यपालक अभियंता इस संबंध में अपना स्पष्टीकरण तीन दिनों के अंदर भेजना सुनिश्चित करेंगे एवं संबंधित क्षेत्र में अभियंताओं की उपस्थिति सुनिश्चित करायेंगे।

(अनुपालन : कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, खगड़िया)

2. ग्रामीण कार्य प्रमंडल, गोगरी के अभियंता :–

श्री अखिलेश कुमार, सहायक अभियंता :– श्री कुमार बैठक में अनुपस्थित पाये गये। बैठक में उपस्थित कनीय अभियंता (संविदा) ने बताया कि वे परबत्ता में सड़क में हो रहे Premixing कार्य का पर्यवेक्षण कर रहे है।

श्री मनोज कुमार, कनीय अभियंता (संविदा) :– श्री कुमार द्वारा बताया गया कि 15–20 दिन पहले प्रखंड विकास पदाधिकारी से बाते हुई थी। गोगरी एवं परबत्ता प्रखंड मिलाकर कुल 30–35 प्राक्कलन तैयार किये हैं। उन्हें योजनाओं की सूची प्राप्त नहीं हुई है। उन्हें निदेशित किया गया कि वे संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी से सूचि प्राप्त कर लें तथा प्राक्कलन निर्माण कार्य में अपेक्षित प्रगति लायें।

समीक्षा के क्रम में पाया गया कि उपरोक्त सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता के द्वारा कार्य में दिलचस्पी नहीं लेने कारण योजनाओं में प्रगति नहीं हो पा रही है। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोगरी को निदेश दिया जाता है कि वे सहायक अभियंता/कनीय अभियंता का वेतन

भुगतान अगले आदेश तक स्थगित करें। यदि संबंधित कनीय अभियंता संविदा पर हैं तो उनके मानदेय का भुगतान 15 (पन्द्रह) प्रतिशत् राशि की कटौती कर के ही करेंगे।

(अनुपालन : कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोगरी / कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया)

3. **<u>मनरेगा के अंतर्गत् के अभियंता</u>** :–

<u>श्री सुनिल कुमार, कनीय अभियंता</u> :– श्री कुमार द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा खगड़िया प्रखंड के 48 एवं मानसी प्रखंड के 52 प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराया गया।

<u>श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा, कनीय अभियंता</u> :– श्री सिन्हा ने बताया कि उनके द्वारा 114 प्राक्कलन तैयार कर उपलब्ध कराया गया है।

मनरेगा के अन्य प्रतिनियुक्त अभियंता बैठक में उपस्थित नहीं हुए।

समीक्षा के क्रम में मनरेगा के अभियंताओं द्वारा प्राक्कलन निर्माण एवं तकनीकी स्वीकृति का कार्य संतोषप्रद पाया गया।

सभी सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता को निदेश दिया गया कि प्राक्कलन तैयार करने, तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त करने के साथ–साथ योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना सुनिश्चित करेंगे।

अन्त में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात् बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

जिलाधिकारी
खगड़िया।

ज्ञापांक 2520 / गो0, दिनांक 07-11-17

प्रतिलिपि : सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, खगड़िया जिला / सभी संबंधित सहायक अभियंता / कनीय अभियंता को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, खगड़िया / कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, गोगरी / कार्यपालक अभियंता जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, खगड़िया को सूचनार्थ, अनुपालनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : उप विकास आयुक्त, खगड़िया / निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, खगड़िया / कोषागार पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना–विज्ञान पदाधिकारी (एन0आई0सी0), खगड़िया / जिला आई0 टी0 प्रबंधक, खगड़िया को जिला के वेबसाईड पर प्रदर्शित करने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई–मेल करने हेतु प्रेषित।

जिलाधिकारी
खगड़िया।